



भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
 विकास आयुक्त (सूक्ष्म लघु एवं मध्यम)
 एम एस एम ई - विकास संस्थान, इन्दौर

उद्यमिता सह कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारत सरकार, एम.एस.एम.ई.-विकास संस्थान, इंदौर द्वारा वर्ष 2017-18 में अनुसूचित **जनजाति** वर्ग के लिए आरक्षित उद्यमिता सह कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन निम्नानुसार किया जा रहा है:-

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ होने की संभावित तिथि	प्रशिक्षण का विषय	कार्यक्रम के आयोजन का स्थान	वर्ग	योग्यता	
					आयु	शिक्षा
1	29.05.2017	उद्यमिता सह कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (कम्प्यूटर अकाउण्ट विद् टैली पर आधारित)	खण्डवा	अनुसूचित जनजाति	18 वर्ष और ऊपर	10 वीं उर्तीण

1. प्रशिक्षण अवधि : 06 सप्ताह ।
2. प्रशिक्षण शुल्क : अनुसूचित **जनजाति** वर्ग के लिए आरक्षित एवं निःशुल्क अन्य वर्ग के लिए शुल्क नियमानुसार ।
3. प्रशिक्षण विवरण : कार्यक्रम के तहत उद्यमिता सह कौशल विकास के अंतर्गत अनुभवी फैकल्टी द्वारा शासकीय वित्तीय योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ उद्यमिता एवं कौशल विकास के संबंध में जानकारी प्रदान की जावेगी। प्रशिक्षण उपरांत भारत सरकार एमएसएमई-डीआई, इंदौर के द्वारा नियमानुसार प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा ।
4. आवेदन विधि : आवेदन सादे कागज पर, नीचे दिए ईमेल में दिनांक 29.05.2017 तक भेजा जा सकता है ।

आवेदन के लिए संपर्क करे : श्री गौरव गोयल, सहायक निदेशक
 (मो. 9479910026) E-mail: gaurav.goyal.msme@gov.in

आयोजक
 निदेशक, एमएसएमई-विकास संस्थान,
 10, पोलोग्राउण्ड, औद्योगिक क्षेत्र, इंदौर
 फोन नं. 0731-2421037, 2421659, फेक्स -0731-2421540
 E-mail: dcdi-indore@dcmsme.gov.in, Website: www.msmeindore.nic.in
 उद्योग आधार हेतु उद्यमी हेल्पलाइन न. 1800 180 6763